राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

क्रमांक प. 15(12)ज0सं0 / 2016 जयपुर, दिनांक 8 DEC 2016

:: आदेश ::

सहायक अभियंता (सिविल / विद्युत / यांत्रिकी / कृषि) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 के परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर राजस्थान अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान अधिकारी (सिंचाई शाखा) नियम, 1954 के नियम 25 व 30 के अंतर्गत माननीय राज्यपाल महोदय की आज्ञा से निम्नांकित अभ्यार्थियों को जल संसाधन विभाग में सहायक अभियंता (सिविल / यांत्रिक) के पद पर कार्यग्रहण तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप नियुक्त किये जाने के एतदद्वारा आदेश जारी किये जाते हैं। इस अवधि में इनको राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट दरों पर मासिक भुगतान रूपये 22180/– देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार के अन्य कोई वेतन भत्ते देय नहीं होंगे। परिवीक्षाकालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर इन्हें रनिंग पे–बैण्ड–3 (15600–39100) में ग्रेड–पे 5400/– एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।

सहायक अभियंता (सिविल)

S.No.	Merit No.	Category	Date of Birth	Name	Father's Name	Status
1.	71	ST	09.05.88	राज भंवरायत	पुत्र श्री बीरबल मीणा	STM

उक्त नियुक्ति राजस्थान अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान अधिकारी सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1954 के नियम 25 एवं 30 के अंतर्गत की गई है। यह नियुक्तियां उपरोक्त सेवा नियमों में अधिकारित निबन्धनों एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यधीन की गई है।

इन अभ्यर्थियों की वरिष्ठता राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेरिट के अनुसार ही रहेगी। कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।

नियुक्त किये गये विवाहित अभ्यार्थियों को कार्यभार संभालने से पूर्व उनकी जीवित संतानों का पूर्ण विवरण तथा विवाह पंजीकृत प्रमाण पत्र कार्यग्रहण से पूर्व मुख्य अभियंता, जल संसाधन, जयपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

इन अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जा रहे हैं। इनको पदस्थापन आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने पर इनके नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।

यदि परिवीक्षा की समयावधि में इनका कार्य या आचरण संतोषप्रद नहीं पाया गया तो सरकार इनको सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।

सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट पिटीशन संख्या 1862/2013 कैप्टन गुरविन्द सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के संबंध में पारित निर्णय / आदेशों के अध्ययधीन रहेगी।

गर्भवती महिलाओं के लिये कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 15(1)कार्मिक / क–2 / 74 दिनांक 16.8.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से

Sd/-

(आर0सी0 ढेनवाल)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री, जल संसाधन, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक 7(16)परीक्षा / सहायक अभियंता / 2012–13 / 3 दिनांक 7.4.16 के क्रम में।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक विभाग को उनकी अशा0 टीप क्रमांक प.9(2) कार्मिक / क–4 / 2016 दिनांक 20.4.16 के क्रम में।
5. मुख्य अभियंता, जल संसाधन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति सभी संबंधित कार्यालयों / व्यक्तियों को प्रेषित करावें तथा विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. रक्षित पत्रावली

(बिजेन्द्र कुमार अग्रवाल)

सहायक शासन सचिव

8954
9/12

EE-I